

नम्बर
अहकाम
हुकम
में

तारीख हुकम

हुकम नं. 493/2013

प्रतिपक्ष का पक्ष

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जन
हुकम नं. 493/2013

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

राजेश पुत्र पप्पु व शंकर पुत्र नागा जाति पीला
निवासी लांपुवा तह. श्रीमधोपुर ने डा. फरवाक
नाम दुबस्ती तक स्वयं आदेश पर निवेदन किया
कि खार्तदार काश्तकर नागात्म, पप्पु पुत्रगण जमत
लात अपने नाम दुबस्ती कवा कर राजस्व रिकॉर्ड
में समत कवाना चाहते हैं। अतः नाम दुबस्ती
तक स्वयं आदेश अपास्त कर नाम दुबस्ती की
हजाजत उदान करे। वकील उतिपक्ष ने आवेदन
के डा. पत्र पर खनाम दुबस्ती तक स्वयं आदेश
अपास्त करने से सहमति दी।

पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड
का अवलोकन किया गया। वकील उतिपक्ष की
आवेदनाओं के डा. पत्र पर दी गई सहमति के
आधार पर डा. पत्र वाकत नाम दुबस्ती तक
स्वयं आदेश अपास्त करने स्वीकार किया जकर
तन ग्राम लांपुवा तह. श्रीमधोपुर अवस्थित कृषि
भूमि ख. नं. 86/1, 86/3, 87 ता 93 में आवेदन
गण के नाम दुबस्ती तक न्यायालय हाजा के
स्वयं आदेश दिनांकित 24/04/14 से मुस्त किया
जाता है। शेष स्वयं आदेश ब्यापक रहेगा।
पत्रावली वास्तै बहस दिनांक 22/11/19 को
पेश हो

22/11

वकुलाय उप.। उकला में वकुलाय उमयपक्ष की
बहस सुनी गई। वास्तै आदेशार्थ मिसल दिनांक
26/11/19 को पेश हो।

26/11

वास्तै आदेश मिसल पेश हुई। वकुलाय उमयपक्ष
उप.। उकला में बहस वकुलाय उमयपक्ष में सुनी

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड
का अवलोकन किया गया एवं वसूल वृत्त में उपलब्ध
पत्र पर मजबूत किया गया। चूंकि अग्रणी सं. 1
विवादित आदेश का रिकॉर्ड खातेदार कारतका
है। रिकॉर्ड खातेदार कारतका को विवरण सं.
पत्र अ. धा. 151 CPC का बूना पौषणीय नहीं
होना पाया जाने पर सं. पत्र U/S 151 CPC
खातेदार किया जाता है। पत्रावली फौजदारी
होकर नम्बर से कम है तथा बाद तकमील
दाखिल दफ्तर है। नियम खुले न्यायालय में
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) खण्डेवा

